

प्रारंभिक परीक्षा

अमेरिका-इजराइल के ईरान के खिलाफ युद्ध के बावजूद ईरान की दृढ़ता का कारण

संदर्भ

- संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे टकराव ने ईरान को एक “किलेबंद राज्य” (fortress state) के रूप में प्रदर्शित किया है—एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जो संस्थागत, सैन्य और सामाजिक सुरक्षा की बहु-स्तरीय संरचनाओं पर आधारित है।

किलेबंद राज्य की अवधारणा (Concept of the Fortress State)

यह विचार इतालवी राजनीतिक विचारक एंटोनियो ग्रांशी के सिद्धांत से मिलता-जुलता है, जिन्होंने आधुनिक राज्य की तुलना किलेबंदी की प्रणाली से की थी। इस मॉडल में, राज्य की दमनकारी शक्ति (सेना या पुलिस) केवल बाहरी रक्षात्मक खाई है, जबकि नागरिक समाज और सामाजिक वैधता गहरी रक्षात्मक परतें बनाती हैं जो संकट के दौरान प्रणाली को सुदृढ़ बनाती हैं।

ईरान के किलेबंद राज्य की विशेषताएँ (Features of Iran's Fortress State)

ईरान ने इस मॉडल को चरम सीमा तक विकसित किया है—परस्पर संबद्ध संस्थानों, समानांतर सुरक्षा बलों और सामाजिक सहायता नेटवर्क का निर्माण किया है जो सामूहिक रूप से राजनीतिक व्यवस्था की रक्षा करते हैं।

- **परस्पर संबद्ध राजनीतिक संस्थान:** ईरान की राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार डिजाइन की गई है कि इसमें परस्पर आच्छादित संस्थाएँ हैं, जो किसी एक पद में शक्ति के केंद्रीकरण को रोकती हैं।
 - ईरान के सर्वोच्च नेता (रहबर) सर्वोपरि अधिकार का प्रयोग करते हैं।
 - ईरान के राष्ट्रपति दैनिक शासन का प्रबंधन करते हैं।
- **दोहरी सुरक्षा संरचना:** ईरान बाहरी रक्षा और आंतरिक स्थिरता दोनों के लिए समानांतर सुरक्षा संस्थान बनाए रखता है।
 - **आर्तेश (Artesh)** के तहत नियमित सेना पारंपरिक रक्षा संभालती है।
 - **क्रांतिकारी सेना:** इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) इस्लामिक क्रांति की रक्षा करती है और रणनीतिक संचालन की देखरेख करती है। IRGC के भीतर:
 - कुद्स फोर्स क्षेत्रीय गठबंधन और प्रॉक्सी नेटवर्क का प्रबंधन करती है।
 - बासिज (Basij) नागरिकों को लामबंद करती है और आंतरिक अशांति का दमन करती है।
- **विकेंद्रीकृत कमान संरचना:** ईरान के सुरक्षा बल विकेंद्रीकृत कमान प्रणालियों का उपयोग करते हैं। यदि वरिष्ठ कमांडरों की हत्या कर दी जाती है, तो मध्य स्तर के अधिकारी परिचालनात्मक स्वायत्तता बनाए रखते हैं और मिशन जारी रखते हैं।
 - उदा. 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद भी क्षेत्रीय नेटवर्क कार्यात्मक रहे।
- **वैचारिक वैधता:** इस्लामी गणराज्य की राजनीतिक विचारधारा धार्मिक अधिकार को सामाजिक न्याय के विमर्शों के साथ समाहित करती है।
- **विखंडित विपक्ष:** इस्लामी गणराज्य की राजनीतिक विचारधारा धार्मिक अधिकार को सामाजिक न्याय के विमर्शों के साथ समाहित करती है।
- **समानांतर कल्याण नेटवर्क:** क्रांतिकारी फाउंडेशनों (बोन्याद) और सामाजिक समितियों के माध्यम से व्यापक कल्याण वितरण शासन की वैधता को मजबूत करता है।

भारत को S-400 की आपूर्ति

संदर्भ

- भारत को 2026 में रूस से S-400 ट्रायम्फ के शेष दो स्कवाड्रन प्राप्त होने वाले हैं, जिससे भारत के राष्ट्रीय वायु रक्षा नेटवर्क को मजबूत करने की प्रक्रिया में तेजी आएगी।

सौदे के बारे में

- भारत ने 2018 में पाँच S-400 स्क्वाड्रन के लिए अल्माज़-एन्ते (Almaz-Antey) के साथ 5.43 बिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।
- **आपूर्ति की स्थिति:**
 - 3 स्क्वाड्रन पहले ही सेवा में शामिल (Inducted) किए जा चुके हैं।
 - चौथे स्क्वाड्रन की आपूर्ति अप्रैल 2026 तक अपेक्षित है।
 - अंतिम स्क्वाड्रन नवंबर 2026 तक अपेक्षित है।
- **विलंब के कारण:** आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और रूस-यूक्रेन संघर्ष के कारण आपूर्ति में पूर्व में देरी हुई थी।

S400 के बारे में

- **लंबी दूरी तक अवरोधन:** 400 किमी की दूरी और 30 किमी की ऊंचाई तक के हवाई खतरों को निशाना बनाता है।
- **स्तरित मिसाइल रक्षा:** 40, 120, 250 और 400 किमी की दूरी वाली चार प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करता है।
- **उच्च लक्ष्य ट्रैकिंग:** फेज़्ड-एरे रडार 600 किमी तक के लक्ष्यों का पता लगाता है और लगभग 300 लक्ष्यों को ट्रैक करता है।
- **हाइपरसोनिक अवरोधन:** मिसाइलें लगभग मैक 14 की गति से यात्रा करती हैं ताकि तेज गति वाले विमानों और मिसाइलों को रोका जा सके।
- **मोबाइल सिस्टम:** तेजी से तैनाती और स्थानांतरण के लिए ट्रांसपोर्टर-इरेक्टर-लॉन्चर (टीईएल) पर लगाया जाता है।



सिस्टम घटक

- **निगरानी रडार (Surveillance radar):** लंबी दूरी पर आने वाले हवाई खतरों का पता लगाता है।
- **एंगेजमेंट रडार (Engagement radar):** लक्ष्यों को ट्रैक करता है और इंटरसेप्टर मिसाइलों को निर्देशित करता है।
- **कमान और नियंत्रण केंद्र:** रडार डेटा, लक्ष्यों के प्राथमिकता निर्धारण और मिसाइल प्रक्षेपण का समन्वय करता है।
- **मिसाइल लॉन्चर:** इंटरसेप्टर मिसाइलों को ले जाने वाले मोबाइल लॉन्च वाहन।

भारतीय सेवा में एस-400

- **भारतीय नामकरण:** पौराणिक हथियार 'सुदर्शन चक्र' से प्रेरित होकर भारत में इस प्रणाली को "सुदर्शन चक्र" नाम दिया गया है।
- **अतिरिक्त खरीद:** रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने लगभग ₹10,000 करोड़ मूल्य की 288 अतिरिक्त S-400 मिसाइलों की खरीद के लिए 'आवश्यकता की स्वीकृति' (AoN) प्रदान की है।

भारत की वायु रक्षा प्रणाली

भारत विमानों, ड्रोनों, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए मिसाइलों, रडार, विमानों और कमान-नियंत्रण नेटवर्क की एक एकीकृत प्रणाली बनाए रखता है।

| परत / घटक | प्रणाली / उदाहरण | मुख्य विशेषताएँ |
|------------------------------|--|--|
| बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा (BMD) | PAD – पृथ्वी एयर डिफेंस, AAD – एडवांस्ड एयर डिफेंस | दो-स्तरीय इंटरसेप्टर प्रणाली; PAD ~80 किमी (बाह्य-वायुमंडल) और AAD ~30 किमी (अंतः-वायुमंडल) पर अवरोधन करता है; ~2000 किमी तक की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करता है। |

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---|
| लंबी दूरी की वायु रक्षा | S-400 ट्रायम्फ | 400 किमी तक विमानों, यूएवी (UAVs), क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकता है। |
| मध्यम दूरी की रक्षा | बराक-8 (Barak-8) | भारत और इजरायल द्वारा सह-विकसित; विमानों, यूएवी और क्रूज मिसाइलों के खिलाफ क्षेत्रीय वायु रक्षा (70-100 किमी) प्रदान करता है। |
| कम दूरी की रक्षा | आकाश मिसाइल प्रणाली | 30-35 किमी की सीमा वाली स्वदेशी मोबाइल सैम (SAM) प्रणाली; सैन्य अड्डों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करती है। आकाश-NG संस्करण सीमा को ~70 किमी तक बढ़ाता है। |
| त्वरित-प्रतिक्रिया रक्षा | स्पाइडर (SPYDER) वायु रक्षा प्रणाली | 15-35 किमी पर विमानों, यूएवी और सटीक-निर्देशित हथियारों को रोकने में सक्षम त्वरित-प्रतिक्रिया प्रणाली। |
| बहुत कम दूरी की रक्षा | इग्ला-एस (Igla-S), शिल्का, तुंगुस्का | 10 किमी के भीतर कम ऊँचाई पर उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनो से सैनिकों और बख्तरबंद इकाइयों की रक्षा करता है। |

ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी पर NMC का परामर्श

संदर्भ

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने चिकित्सा पेशेवरों और क्लिनिकों को ऑटिज्म के उपचार के लिए स्टेम सेल थेरेपी (Stem Cell Therapy) का उपयोग न करने का निर्देश दिया है।

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (एसडी)

- **परिभाषा:** ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सामाजिक संचार में कमी और सीमित/पुनरावृत्ति व्यवहारों द्वारा अभिलक्षित होता है।
- **शुरुआत (Onset):** लक्षण आमतौर पर 3 वर्ष की आयु से पहले दिखाई देते हैं और जीवन भर बने रहते हैं।
- **प्रसार:** विश्व स्तर पर लगभग 100 बच्चों में से 1 (विश्व स्वास्थ्य संगठन); विश्व भर में निदान दर में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।
- **कारण:** प्रारंभिक मस्तिष्क विकास और पर्यावरणीय कारकों के योगदान के साथ मजबूत आनुवंशिक आधार; टीकों के कारण नहीं होता।
- **मुख्य विशेषताएं:** बाधित सामाजिक अंतःक्रिया, विलंबित भाषा विकास, पुनरावृत्ति गतिविधियां, सीमित रुचियां और संवेदी संवेदनशीलता।
- **निदान:** व्यवहारिक और विकासात्मक आकलन पर आधारित, न कि प्रयोगशाला परीक्षणों पर।
- **प्रबंधन:** कोई स्थायी उपचार (Cure) नहीं है, लेकिन प्रारंभिक हस्तक्षेप (जैसे, स्पीच थेरेपी, व्यवहारिक थेरेपी) परिणामों में काफी सुधार कर सकते हैं।
 - शिक्षा में सहायता, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, और कभी-कभी संबंधित लक्षणों (जैसे चिंता या अतिसक्रियता) के लिए दवाएं।
- **स्टेम सेल थेरेपी (भारत):** नियमित उपचार के लिए अनुमोदित नहीं; 'स्टेम सेल अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देशों' के तहत इसे अन्वेषणात्मक (Investigational) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- **वैश्विक जागरूकता:** 2 अप्रैल को 'विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

NMC परामर्श के कारण:

- **सुप्रीम कोर्ट का निर्देश:** यह परामर्श 'यश चैरिटेबल ट्रस्ट बनाम भारत संघ' मामले में आए निर्णय के बाद जारी किया गया है, जहाँ न्यायालय ने ऑटिज्म के लिए स्टेम सेल थेरेपी का समर्थन करने वाले वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी को रेखांकित किया था।
- **ICMR की सिफारिश:** निर्णय के बाद, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने NMC को पत्र लिखकर निर्णय और राष्ट्रीय स्टेम-सेल दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्श प्रसारित करने को कहा था।

- **रोगियों की सुरक्षा:** राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने संवेदनशील परिवारों को असुरक्षित, महंगे और अप्रमाणित उपचारों की पेशकश से बचाने के लिए यह परामर्श जारी किया है।

स्टेम सेल उपयोग का नियामक ढांचा

भारत में स्टेम सेल का उपयोग भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा जारी स्टेम सेल अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश (NGSCR) द्वारा शासित होता है। यह मोटे तौर पर मनुष्यों में स्टेम सेल के उपयोग को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है:

- **अनुमोदित नैदानिक उपयोग (32 बीमारियां) (NGSCR के परिशिष्ट में दिया गया है):** स्टेम सेल थेरेपी के नियमित नैदानिक उपयोग की अनुमति लगभग 32 अनुमोदित संकेतों के लिए है, मुख्य रूप से रक्त कैंसर और गंभीर रक्त विकार जिन्हें हेमटोपोइएटिक स्टेम सेल प्रत्यारोपण (HSCT) के माध्यम से उपचारित किया जाता है (जैसे, ल्यूकेमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, मल्टीपल मायलोमा)।
- **अन्य बीमारियां (केवल अनुसंधान के लिए):** इस सूची से बाहर की स्थितियों के लिए—जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी शामिल है—स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग नियमित उपचार के रूप में नहीं किया जा सकता है और यह केवल विनियमित नैदानिक अनुसंधान के भीतर ही अनुमत है।

स्टेम सेल अनुसंधान के लिए नियामक ढांचा

- **संस्थागत निगरानी:** अनुसंधान को स्टेम सेल अनुसंधान के लिए संस्थागत समिति (IC-SCR) और संस्थागत नैतिकता समिति (IEC) द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
 - दोनों समितियों का राष्ट्रीय नियामक अधिकारियों के पास पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- **नियामक अनुमोदन:** स्टेम सेल परीक्षणों के प्रकार के आधार पर:
 - केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) व्यापक रूप से हेरफेर (manipulated) किए गए स्टेम सेल से जुड़े नैदानिक परीक्षणों को नियंत्रित करता है।
 - स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग (DHR) न्यूनतम हेरफेर (minimally manipulated) वाली स्टेम सेल थेरेपी की निगरानी करता है।

अनुसंधान अवसंरचना और योग्यताएं

नैदानिक परीक्षण केवल गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस (GLP) प्रमाणित सुविधाओं में ही आयोजित किए जाने चाहिए, और इनका नेतृत्व राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (पूर्व में भारतीय चिकित्सा परिषद) के साथ पंजीकृत योग्य चिकित्सा पेशेवरों द्वारा किया जाना चाहिए।

जीवित वसीयत (LIVING WILL)

संदर्भ

हरीश राणा मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले ने, जिसमें दीर्घकालिक कोमा में पड़े मरीज के लिए जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दी गई थी, जीवन के अंतिम क्षणों में अधिकारों पर बहस को फिर से जीवित कर दिया है। यह फैसला कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2018) मामले पर आधारित है और इसने 'जीवित वसीयत' या अग्रिम चिकित्सा निर्देशों पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया है।

जीवित वसीयत (Living Will) के बारे में

एक 'जीवित वसीयत' किसी व्यक्ति को यह स्पष्ट करने में सक्षम बनाती है कि भविष्य में अपनी सहमति व्यक्त करने में असमर्थ होने की स्थिति में वे किस प्रकार का चिकित्सा उपचार प्राप्त करना चाहते हैं या अस्वीकार करना चाहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उनके स्वास्थ्य संबंधी विकल्पों का सम्मान किया जाए, भले ही वे निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग न ले सकें।

भारत में कानूनी स्थिति

- 2018 तक, भारत में 'जीवित वसीयत' को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी। यह 'कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018)' के ऐतिहासिक निर्णय के साथ बदल गया, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने 'अग्रिम चिकित्सा निर्देशों' की वैधता को स्वीकार किया।

- न्यायालय ने असाध्य रूप से बीमार रोगियों और निरंतर अचेतन अवस्था (persistent vegetative state) में रहने वाले व्यक्तियों को ऐसे निर्देशों के माध्यम से चिकित्सा उपचार से इनकार करने की अनुमति दी। इसने 'निष्क्रिय इच्छामृत्यु' (passive euthanasia) को भी कानूनी रूप से मान्यता दी और 'जीवित वसीयत' के निष्पादन और कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश स्थापित किए।

जीवित वसीयत कौन बना सकता है?

अग्रिम चिकित्सा निर्देश निम्न व्यक्तियों द्वारा बनाया जा सकता है:

- कोई भी वयस्क जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो और दस्तावेज़ के निहितार्थों को समझने में सक्षम हो
- एक ऐसा व्यक्ति जो परिणामों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित और समझ सके
- इसे स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव के बनाया जाना चाहिए

एक जीवित वसीयत के प्रमुख घटक

एक वैध 'जीवित वसीयत' में निम्नलिखित शामिल होना चाहिए:

- एक लिखित विवरण जिसमें यह निर्दिष्ट हो कि चिकित्सा उपचार कब रोका या वापस लिया जा सकता है।
- जीवन को बढ़ाने वाले उपचारों के संबंध में स्पष्ट निर्देश।
- असंदिग्ध और सटीक निर्देश।
- एक प्रावधान जो व्यक्ति को निर्देश को रद्द करने या संशोधित करने की अनुमति देता हो।
- एक विश्वसनीय व्यक्ति (अभिभावक या रिश्तेदार) का विवरण, जो व्यक्ति के अक्षम होने की स्थिति में निर्णय लेने के लिए अधिकृत हो।

जीवित वसीयत दर्ज करने की प्रक्रिया

- दस्तावेज़ पर व्यक्ति द्वारा दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- इसे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMFC) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित (countersigned) किया जाना चाहिए।
- JMFC संबंधित अधिकारियों को प्रतियां वितरित करने और व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को सूचित करने के लिए उत्तरदायी है।

यह कब और कैसे कार्यान्वित होती है?

'जीवित वसीयत' तब प्रभावी होती है जब व्यक्ति असाध्य रूप से बीमार हो और ठीक होने की कोई उचित संभावना न हो।

इस प्रक्रिया में कई सुरक्षा उपाय शामिल हैं:

- उपचार करने वाला चिकित्सक JMFC के माध्यम से निर्देश की प्रामाणिकता की पुष्टि करता है।
- रोगी (यदि संभव हो) या उनके प्रतिनिधि को चिकित्सा स्थिति और परिणामों के बारे में सूचित किया जाता है।
- अस्पताल स्थिति का आकलन करने के लिए एक 'चिकित्सा बोर्ड' (Medical Board) का गठन करता है।
- यदि अनुमोदित हो जाता है, तो जिला प्रशासन पुष्टि के लिए एक अन्य चिकित्सा बोर्ड का गठन करता है।
- सहमति बनने पर, निर्णय की सूचना JMFC को दी जाती है।
- JMFC मामले की समीक्षा करता है और कार्यान्वयन के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान करता है।

भारत में पितृत्व अवकाश (PATERNITY LEAVE)

संदर्भ

पिछले सप्ताह दत्तक और सरोगेट माताओं के लिए मातृत्व अवकाश पर एक फैसले (हंसानंदिनी नंदुरी बनाम भारत संघ) में, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से सभी पिताओं, चाहे वे दत्तक हों या जैविक, के लिए पितृत्व अवकाश को मान्यता देने वाले एक औपचारिक कानून की आवश्यकता की जांच करने का आह्वान किया।

फैसले की मुख्य विशेषताएं

- **आयु-आधारित प्रतिबंध को हटाना:** न्यायालय ने 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' की धारा 60(4) की व्याख्या को सीमित (Read down) किया।
 - इसने निर्णय दिया कि दत्तक माताएं 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार हैं, चाहे बच्चा तीन महीने से छोटा

हो या बड़ा।

- पूर्ववर्ती आयु-आधारित सीमा को **अनुच्छेद 14** (समानता) और **21** (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का उल्लंघन माना गया।
- **जीव विज्ञान से परे मातृत्व की पहचान:** निर्णय में इस बात पर जोर दिया गया कि मातृत्व लाभ देखभाल (Caregiving) की भूमिका से उत्पन्न होते हैं, न कि केवल प्रसव से।
 - दत्तक माताओं को जैविक माताओं के समान उत्तरदायित्वों वाला माना गया।
 - गोद लेने (Adoption) को अनुच्छेद 21 के तहत प्रजनन विकल्प और व्यक्तिगत स्वायत्तता के एक पहलू के रूप में स्वीकार किया गया।
- **मातृत्व अवकाश एक बुनियादी अधिकार के रूप में:** न्यायालय ने मातृत्व संरक्षण को एक मौलिक मानवीय हकदारी के रूप में वर्णित किया।
 - इसने वित्तीय सुरक्षा, कार्यस्थल समावेशन सुनिश्चित करने और महिलाओं को रोजगार खोने के डर के बिना प्रजनन विकल्प चुनने में सक्षम बनाने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।
- **पितृत्व अवकाश की आवश्यकता:** न्यायालय ने प्रारंभिक बाल देखभाल में दोनों माता-पिता के महत्व को रेखांकित किया।
 - यह नोट किया गया कि पितृत्व अवकाश की अनुपस्थिति लैंगिक रूढ़िवादिता को सुदृढ़ करती है और साझा देखभाल को सीमित करती है।
 - सरकार से सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के भीतर पितृत्व अवकाश शुरू करने का आग्रह किया गया।

पितृत्व अवकाश के बारे में

पितृत्व अवकाश एक निर्धारित अवधि को संदर्भित करता है, जो सवैतनिक या अवैतनिक हो सकता है, और बच्चे के जन्म या गोद लेने के बाद पिता को दिया जाता है। यह उन्हें प्रारंभिक शिशु देखभाल में सक्रिय रूप से शामिल होने और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान माँ का समर्थन करने की अनुमति देता है।

भारत में स्थिति:

हालांकि भारत में पितृत्व अवकाश के लिए कोई व्यापक कानूनी ढांचा नहीं है, फिर भी यह विचार पूरी तरह से अनुपस्थित नहीं है।

- केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम पुरुष सरकारी कर्मचारियों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश प्रदान करते हैं।
- प्रस्तावित पितृत्व और माता-पिता लाभ विधेयक, 2025 (एक निजी सदस्य विधेयक) इसे बढ़ाकर 8 सप्ताह करने का प्रस्ताव करता है।

पितृत्व अवकाश की आवश्यकता

- **साझा पालन-पोषण:** बच्चों की देखभाल एक संयुक्त जिम्मेदारी है; प्रारंभिक देखभाल में पिता को शामिल न करना इस सिद्धांत को कमजोर करता है।
- **छिपी हुई असमानता:** पारंपरिक रूप से देखभाल को माँ का कर्तव्य माना जाता रहा है, जिससे पिता की भूमिका हाशिए पर चली जाती है और यह असंतुलन सामान्य हो जाता है।
- **बाल विकास:** दोनों माता-पिता की सक्रिय भागीदारी बच्चे को बेहतर भावनात्मक सहारा और समग्र कल्याण सुनिश्चित करती है।

प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ

- **भेदभावपूर्ण ढांचा:** जैविक और दत्तक माताओं के बीच, और यहाँ तक कि बच्चे की उम्र के आधार पर दत्तक माताओं के बीच भी असमान व्यवहार बना हुआ है।
- **गोद लेने में बाधाएं:** लंबी प्रक्रियाएं और कानूनी औपचारिकताएं शीघ्र गोद लेने की संभावना को कम करती हैं।
 - बच्चों को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने में देरी से प्रक्रिया और भी जटिल हो जाती है।
- **पितृत्व अवकाश का अभाव:** वैधानिक नीति की कमी असमान देखभाल भूमिकाओं और लैंगिक असंतुलन को बनाए रखती है।
- **महिलाओं के रोजगार पर प्रभाव:** बढ़े हुए मातृत्व लाभों के कारण कभी-कभी नियोक्ताओं का पूर्वाग्रह पैदा हुआ है, जिससे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी प्रभावित हुई है।

- **कार्यान्वयन में कमियां:** कमजोर प्रवर्तन, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र में।
 - शिशुगृह (crèche) सुविधाओं और लचीली कार्य व्यवस्था की सीमित उपलब्धता।

आगे की राह

- **लैंगिक रूप से तटस्थ माता-पिता अवकाश:** वैधानिक पितृत्व अवकाश शुरू करना और साझा माता-पिता अवकाश प्रणाली की ओर बढ़ना।
- **कानूनी सामंजस्य:** विसंगतियों को दूर करने के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम, सामाजिक सुरक्षा संहिता और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों को संरेखित करना।
- **गोद लेने की प्रक्रियाओं को मजबूत करना:** प्रक्रियाओं को सरल बनाना और बच्चों को गोद लेने के लिए पात्र घोषित करने में होने वाले विलंब को कम करना।
- **नियोक्ताओं को सहायता:** मातृत्व संबंधी लागतों की भरपाई करने और समावेशी कार्यस्थल नीतियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन या सब्सिडी प्रदान करना।
- **अनौपचारिक क्षेत्र पर ध्यान देना:** सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना और औपचारिक क्षेत्र के बाहर के श्रमिकों के लिए लाभों की सुलभता और सुवाह्यता (portability) सुनिश्चित करना।

